न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 5/19 निर्णय दिनांक :– 31-12-19

उनवान

1. संतोष देवी पत्नि राजाराम
2. बरजी देवी पत्नि सीताराम
3. गीता देवी पत्नि बद्री लाल

समस्त जाति जाट, निवासी– ग्राम वृदावनपुरा उर्फ रूपंवास, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर राज.।

––वादी

बनाम

1. सीता पुत्री जगदीश पत्नि जगदीश जाति खाती, निवासी– ग्राम वृदावनपुराउर्फ रूपवास हाल ग्राम चन्दलाई, तहसील चाकसू, जिला जयपुर राज. ।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

2. गीता पुत्री जगदीश पत्नि रामलाल जाति खाती, निवासी– ग्राम वृदावनपुरा उर्फ रूपवास हाल ग्राम चन्दलाई, तहसील चाकसू, जिला जयपुर राज.।

3. संतरा पुत्री जगदीश पत्नि श्योजी जाति खाती, निवासी– ग्राम वृदावनपुरा उर्फ रूपवास हाल ग्राम बालमुकुन्दपुरा उर्फ बासडा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर राज.।

4. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोट्खावदा, जिला जयपुर राज।

5. सरपंच ग्राम पंचायत बडोदिया तहसील चाकसू।

––प्रतिवादी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू0 राज0 अधिनियम

विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 361 ग्राम वृंदावनपुरा उर्फ रूपवास

आदेश दिनांक 20.12.2018 ग्राम पंचायत बडोदिया

अपीलांट की ओर से अपील पत्र निम्न प्रकार से पेश है की गयी कि संक्षिप्त में वाक्यात इस प्रकार है :– यह कि वाके ग्राम वृन्दावनपुरा उर्फ रूपवास तहसील कोटखावदा जिला जयपुर में आराजी खसरा नंबर 442 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 444 रकबा 0.9 है0, खसरा नंबर 449 रकबा 0.24 है0, खसंरा नंबर 464 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

0.47 है0, खसरा नंबर 465 रकबा 0.71 है0, खसरा नंबर 466 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 467 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 487 रकबा 0.41 है0, कुल किता 08 कुल रकबा 3.24 है0 खसरा नंबर 470 रकबा 0.30 है0, खसरा नंबर 471 रकबा 0.45 है0 स्थित है। उक्त आराजीयात को अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.07.2016 को रेस्पोडेन्ट .के पिता स्व. जगदीश से संपूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर क्रय की तथा उस पर निर्विवाद रूप से काबिज काश्त है। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश की काश्तकार परिवार की निरक्षर महिलाये है जिन्होने विक्रय पत्र करवा कर नामान्तकरण बाबत. प्रार्थना पत्र हल्का पटवारी को विक्रय पत्र देकर नामान्तकरण बाबत निवेदन किया तब अपीलान्ट ने सोचा कि नामान्तकरण खोल दिया गया होगा। इसलिये राजस्व रिकार्ड नहीं देखा लेकिन उक्त विक्रय पत्र दिनांक 25.07.2016 की पालना में हल्का पटवारी ने खसरा नंबर 470, 471 तथा खसरा नंबर 442, 444, 449 का नामान्तकरण तो अपीलान्ठ के खोल दिया लेकिन बाकी बचे खसरा नंबर 464, 465, 466, 467, 487 का नामान्तकरण अपीलान्ट के नहीं खोला। जिसका राजस्व रिकार्ड में नाम रेस्पोडेन्ट के पिता के नाम ही रह गया। जब रेस्पोडेन्ट का पिता स्व. जगदीश का स्वर्गवास हुआ तो उक्त पूर्व में बेची गई आराजी खसरा नंबर 464, 465, 466, 467, 487 का नामान्तकरण रेस्पोडेस्ट ने जगदीश की विरासत का

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

अपने नाम खुलवा लिया जबकि उनको इस बाबत की भलीभांति जानकारी थी कि अपने पिता ने उक्त आराजी अपीलान्ट को बेचान कर दी है फिर भी हल्का पटवारी से मिलीभगत कर विरासत का नांमान्तकरण सं. 361 दिनांक 20.12.2018 को रेस्पोडेन्टस के नाम गलत खोल दिया– गया। जो अपीलान्ट के अधिकारो के मुकाबले उक्त नामान्तकरण सं. 361 दिनांक 04.08.2017 प्रारम्भ से ही शुन्य एवं खारिज होने योग्य है। पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा उक्त नामान्तकरण सं. 361 विनांक 04.08.2017 को भर दिया तथा गिरदावर व सरपंच द्वारा केम्प बडौदिया में उक्त नामान्तकरण खोल दिया बल्कि गलत. नामान्तकरण खोलकर तस्दीक कर दिया गया। जिससे असतुष्ट होकर अपीलान्टस अलावा दीगर कारणो सहित निम्न कारणों पर अपील प्रस्तुत करते है :– निर्णय सुयोग्य अदालत न्याय नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल हे के कारण निरस्तनीय है। सुयोग्य अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश साजिस व पक्षपात पूर्ण तथा न्याय व समता के प्राकृतिक सिद्धान्त के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। हल्का पटवारी व रेस्पोडेन्ट को इस बात की भंलीभाति जानकारी थी कि उक्त आराजी का विक्रय पत्र पूर्व में ही जगदीश ने अपीलान्ट के हक में कंर दिया था उसके बावंजूद भी उक्त आलोच्य नामान्तकरण खोला गया जो खारिज किये जाने योग्य है। जब रजिस्टर्ड विक्रय

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

पत्र से भूमि अपीलान्ट को बेचान की जा चुकी उसके बावजूद राजस्व कर्मियों से मिलीमगत कर उक्त आलोच्य नामान्तकरण विरासत का खुलवाया गया वह निरस्त किये जाने योग्य है। अपील सुनवायी का अधिकार अदालत हाजा को प्राप्त है। अपीलान्ट जब दिनांक 21.11.2019 अपने खेत पर काम कर रही थी तो रेस्पोडेन्ट सं. 01 ता 03 खेत पर आई और बेचान बाबत भू–माफियों को दिखाने लगी जब अपीलान्ट ने उनसे कहा कि जमीन तो हमारी है तब उन्होने कहा कि हमने हल्का पटवारी से मिलकर नामान्तकरण हमारे नाम खुलवा लिया है जब अपीलान्ट के परिवार वालों ने रिककोड देखा तो उक्त आलोच्य आदेश की जले हुई तब अविलम्ब रिकोड की नकल– हर आवेदन किया तथा राजस्व रिकार्ड की नकले लेकर उक्त अपील पेश कर दी जो अपीलान्ट ने अविलम्ब अपील पेश कर दी है जिसके साथ अलग से दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है इस प्रकार आलोच्य आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 22.11.2019 को होने से अपील अन्दर मयाद है। अन्य उज्जात वंद अवलोकन मिसल मातहत और अर्ज किये जायेगे। अपील अपीलान्टस मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण सं. 361 दिनांक 20.42.2018 को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट के हक में नामान्तकरण खोले जाने के आदेश पारित

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

किया जावे जो न्यायहित मे न्यायोचित है। अपील अपीलांट द्वारा मय दफा 5 व स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 28.11.2019 को पेश किया जाने पर अपील दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 को जरिये नोटिस तलब किया गया तो रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 स्वयं हाजीर अदालत आयी व एक प्रार्थना पत्र सहमति का पेश किया गया कि अपीलांट की रजिस्ट्री का नामान्तकरण हनमे नही खुलवाया पअवारी ने खोला है। उक्त जमीन का नामान्तकरण हमारे नाम से हटाकर अपीलांट के नाम कर दिया जावे। हमे कोई आपत्ति नही हैं। रेस्पोडेंट द्वारा जवाब प्रार्थन पत्र पेश करने पर बहस अपील अपीलांट वकील की सुनी गयी, अपीलांट वकील ने अपील का समर्थन करते हुये मुताबिक विक्रय पत्र अनुसार नामान्तकरण खोले जाने व नामान्तकरण संख्या 361 निर्णय दिनांक 20.12.2018 को निरस्त किये जाने बाबत कथन किया कि मुताबिक विक्रय पत्र नामान्तकरण खोलने में रेस्पोडेंट को किसी प्रकार की आपत्ति नही होने से अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे। रेस्पोडेंट ने मौखिक रूप से विक्रय पत्र अनुसार नामान्तकरण खोले जाने में सहमति जाहिर की गयी। बहस अपीलांट वकील व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के कथन पर गोर किया व अपील का एवं प्रस्तुत दस्तावेज का परीक्षण किया तो वादग्रस्त भूमि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट के पिता से दिनांक 25.07.16 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गयी थी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जिसका नामान्तकरण हल्का पटवारी के द्वारा खसरा नम्बर 470, 471, व 442, 444, 449 तो खोल दिया गया किन्तु

विक्रय पत्र के अनुसार खसरा नम्बर 464, 465, 467, 487 का नामानतकरण नही खोला गया जबकि सम्पूर्ण खसरा नम्बरान का नामान्तकरण मुताबिक विक्रय पत्र अनुसार खोला जाना चाहिये थे उक्त नामान्तकरण खसरा नम्बर 464, 465, 466, 467, 487 रेस्पोडेंट का पिता का स्वर्गवास हुआ तो जगदीश का विरासत नामान्तकरण बेची गयी भूमि खसरा नम्बर 464, 465, 466, 467, 487 रेस्पोडेंट के नाम खोल दिया गया। उक्त नामान्तकरण संख्या 361 दिनांक 20.12.2018 प्रारंभ से ही शून्य एवं खारिज किये जाने योग्य है, इस बाबत स्वयं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 ने लिखित में एवं मौखिक भी उक्त नामान्तकरण अपने नाम गलत खोला जाना स्वीकार करते हुये अपीलांट के नाम नामान्तकरण खोले जाने की सहमति देते हुये सहमति के हस्ताक्षर आर्डर शीट पर किये गये। इस प्रकार उक्त नामान्तकरण विक्रय पत्र 25.07.2016 के अनुसार खोले जाने हेतु अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 361 निर्णय दिनांक 20.12.2018 का निरस्त किया जाता है व विक्रय पत्र

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

दिनांक 20.12.2018 का निरस्त किया जाता है व विक्रय पत्र दिनांक 25.07.2016 के अनुसार नामान्तकरण अपीलांट के पक्ष में वादी जांच कर नियमानुसार खोला जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.02.12 16:25:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: